न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–दतिया

III/निगरानी/दतिया/भू.रा/2018/0626

विक्रम सिंह पुत्र श्री विजय सिंह यादव
निवासी – कलापरम के पीछे राम नगर
कालौनी झांसी रोड, दतिया (म.प्र)

-- आवेदक

विरूद्ध

1– संतोष कुमारी पत्नी श्री हरिश चन्द्र मिश्रा

2– हरिश चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री रामरतन मिश्रा निवासी – पकौडिया महादेव मन्दिर के पास दतिया (म.प्र.)

3– नंद किशोर पुत्र श्री रमोले प्रजापति

4– प्रेमनारायण पुत्र श्री रमोले प्रजापति

5– भैयालाल पुत्र श्री रमोले प्रजापति

6– मातादीन पुत्र श्री रमोले प्रजापति

निवासीगण – रामनगर मामा का डेरा दतिया (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री ...... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि० 23.1.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19.2.18 नियत।
23.1.18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

23/1/18

न्यायालय तहसीलदार तहसील दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/बी–121 /2017–18 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2018 के विरूद्ध म.प्र भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

– 2

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अनावेदक क्रमांक 3 नंद किशोर द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार वृत दतिया तहसील व जिला दतिया के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत कि ग्राम रामनगर मामा का डेरा तहसील व जिला दतिया में स्थित भूमि आराजी सर्वे नं. 82 रकवा 1.732 में से 7/32 में से रकवा 0.378 है0 स्थित ग्राम मौजा रामनगर तहसील व जिला दतिया का बंटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जाकर आदेश दिनांक 11.12.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/दतिया/भू.रा./2018/0626

विक्रम सिंह विरूद्ध संतोष कुमारी

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/4/–18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2- यह निगरानी तहसीलदार दतिया के प्र0क्र0 52/बी-121/17-18 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराए जाकर पुन: उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया गया है। 4- आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो के मूल बिन्दु क्रमांक 4 एवं निगरानी के आधार बिन्दु क्रमांक 3 पर अंकित तथ्यों के अनुक्रम में निगरानी मेमो के संलग्न अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों तथा राजस्व मण्डल में प्रचलित प्र0 क्र0 दो/ निग/ दतिया/ भू.रा./ 2017/ 2131 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 05.07.2017 की निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है जो प्र0क्र0 दो/ निग/ दतिया/ भू.रा./ 2017/2131 पर दायर होकर सुनवाई हेतु	

ग्राह्य करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख बुलाए जाने तथा अनावेदकों को सूचना-पत्र जारी किए जाने के आदेश के साथ विचाराधीन है किन्तु इस निगरानी में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 05.07.17 के संबंध में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है। प्रस्तुत इस निगरानी में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 16.01.2018 से तहसीलदार द्वारा मात्र अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 05.07.2017 के पालन में अमल कराए जाने के आदेश दिए गये है और विधि अनुसार अमल कराए जाने से किसी को हक अजिर्त नहीं होता है। जहां तक इस न्यायालय में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 05.07.2017 के विरूद्ध विचाराधीन निगरानी प्र0क्र0 दो/ निग/ दतिया/ भू.रा./ 2017/2131 का प्रश्न है तो राजस्व मण्डल में प्रचालित उक्त निगरानी में जो आदेश पारित होगा तदनुसार उसका भी अमल कराए जाने के लिए तहसीलदार बाध्य है। इसके साथ ही इस निगरानी में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 16.01.2018 के स्थगन के संबंध में संहिता में निहित प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कोई ईप्सा आवेदक अधिवक्ता द्वारा नहीं की गयी है। अतः प्रकरण में उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में ऐसा कोई अभिलेखीय तथा विधिक आधार वर्तमान में नहीं है जिसके आधार पर प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाता। परिणाम स्वरूप निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्र0दा0रि0 हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य